I/38373/2022

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या — /2022/02(120)/**XXVII(8)**/2022/**CT-04**
देहरादूनः दिनांकः 26 मई, 2022

<u>अधिसूचना</u>

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल,उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 10 की उपधारा (1) के परंतुक के द्वाराप्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग8- की अधिसूचना संख्या 284/2019/ 4(120) /XXVII (8)/2019/CT-14 दिनांक09 अप्रैल,2019में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत: सुथापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"4	6815	फ्लाई ऐश की ईंटे या फ्लाई ऐश, जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
5	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलाकामय मिट्टी की ईंटें
6	6904 10 00	निर्माणी ईंटें
7	6905 10 00	फ़र्श या छत की टाइलें"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 से लागू समझी जायेगी।

Signed by Sowjanya
Date: 26-05-2022 18:45:51
(सौजन्या)
सचिव

<u>सं0 372/2022/02(120)/**XXVII(8)**/2022/**CT-04**तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईलहेतु।

आज्ञा से,

Matl

(बी0बी0 मठपाल)
अपर सचिव

1807
27/5/22

.... विधि
आवश्यक कार्यवाही करें।

आयुक्त राज्य कर
उत्तराखण्ड

I/38372/2022

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 372/2022/ 02(120)/ XXVII(8)/ 2022/ CT-04 dated 26 May, 2022 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No. 372 /2022/ 02(120)/ XXVII(8)/2022/CT-04
Dehradun : Dated: 26 May, 2022

Notification

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by proviso to sub-section (1) of section 10 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 284/2019/4(120)/XXVII (8)/2019/CT-14 dated 09th April, 2019, namely:-

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

"4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	690410 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles".

2. This notification shall have deemed to come into force from the 1st day of April, 2022.

Signed by Sowjanya
Date: 26-05-2022 18:45:05
(Sowjanya)
Secretary